REGD. NO. D. L.-33004/99



असावारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

| सं. 515] | नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 10, 2015/फाल्गुन 19, 1936  |
|----------|--|
| No. 515] | NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 10, 2015/PHALGUNA 19, 1936 |

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2015

**का.आ. 693(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ. 689(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 308 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातुः—

| (1) | (2)  | (3)  |
|-----|------|--|
| 308 | 137ए | मणिपुर राज्य में वहेंगबाम लीकाई (इम्फाल – मयंग इम्फाल रोड और रारा-37 के जंक्शन) से |
|     |      | प्रारंभ होकर हियांगथांग, वांगोल, मयंग इम्फाल, वाबागई, काकचिंग को जोड़ते हुए और     |
|     |      | काकचिंग लमखई पर नए रारा-102 पर अपने जंक्शन के साथ समाप्त होने वाला राजमार्ग ।      |

[फा.सं. एनएच-14012/18/2014-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

**पाद टिप्पण**: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 1180, तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और पिछली बार संशोधन अधिसूचना संख्या का. आ. 132(अ), तारीख 12 जनवरी, 2015 द्वारा किया गया था ।

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## **NOTIFICATION**

## New Delhi, the 10th March, 2015

**S.O. 693(E).** — In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) *vide* number S.O. 689(E), dated, the 4th April, 2011, namely:-

In the Schedule, for serial number 308 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:---

| (1) | (2)  | (3)  |
|-----|------|--|
| 308 | 137A | The highway starting from Wahengbam Leikai (Junction of Imphal-Mayang Imphal Road<br>and NH 37) connecting Hiyangthang, Wangol, Mayang Imphal, Wabagai, Kakching and<br>terminating at its junction with new NIL Na. 102 at Kalabing Lemkhai in the State of |
|     |      | terminating at its junction with new NH No. 102 at Kakching Lamkhai in the State of Manipur.   |

[F. No. NH-14012/18/2014-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

**Footnote:** The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India *vide* notification number S.R.O. 1180, dated 4th April, 1957 and was substituted *vide* notification number S.O. 689(E), dated 4th April, 2011 and last amended *vide* notification number S.O. 132(E), dated 12th January, 2015.